राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू–अभिलेख अधिकारी, धोरीमन्ना (जिला बाड़मेर) राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :– श्री लाखाराम, आर.ए.एस.

आवेदन संख्या :– 94/2023

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. हुकमाराम पुत्र कुम्भाराम 2. तेजाराम पुत्र कुम्भाराम 3. चेनी देवी पत्नी कुम्भाराम 4. लिच्छुदेवी पत्नी कुम्भाराम जातियान जाट निवासी लुखु तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर राजस्थान।		1. मगा पुत्र ईशरा 2. रावताराम पुत्र कुम्भाराम 3. मेघा पुत्र जालू 4. सुरजन पुत्र जालू 5. तोगा पुत्र ताजा 6. शेरा पुत्र ताजा जातियान जाट निवासी लुखु तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 7. गुलाराम पुत्र भेराराम 8. भंवरा पुत्र भगानाराम जातियान मेघवाल निवासी अम्बेडकर नगर लूखु तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर 9. तहसीलदार तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम वास्ते नेखमबन्दी

तारीख रजू :– 11/07/23

अधिवक्तागण :– 1. श्री रामनिवास विश्नोई, अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. श्री मांगीलाल जयपाल अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 7 व 8

– : : निर्णय : : –

दिनांक :– 27/10/23

प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री रामनिवास विश्नोई द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 45/3 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म बा.दोयम मौजा लूखु पटवार मण्डल लूखु तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में अवस्थित है, जिस पर प्रार्थीगण का कब्जा [illegible] निर्बाध रूप से चला आ रहा है। नकल जमाबन्दी व नक्शा साथ [illegible] है [illegible] र्थीगण की उपरेक्त भूमि के सेढ़ा–सेढ़ ही विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई [illegible] प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के बीच में किसी प्रकार की [illegible] न नहीं होने के कारण प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य काश्त एवं प्राकृतिक पैदावार सम्बन्धी

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:06 IST
Reason: Self Attested

27.10.23
उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

खेतों के सेढ़ों के लेकर पास में तनाजा एवं विवाद बना रहता है। काश्त के समय विप्रार्थीगण प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी की भूमि में हस्तक्षेप कर प्रार्थीगण की भूमि पर जबरन काश्त कर लेते है तथा काश्त के समय लड़ाई फंसाद होने की आशंका रहती है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि का सही समय पर उपयोग नही कर पा रहे है, इसलिए प्रार्थीगण हमेशा के लिए भूमि के सेढ़ों के विवाद से बचने के लिए अपनी उपरोक्त भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण ने अपनी उपरोक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 29.06.2023 को करवाया गया था परन्तु मौके पर विवाद होने के कारण सीमाज्ञान को विप्रार्थीगण नही मान रहें है, जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना ने श्रीमान् के समक्ष नेखमबन्दी का आवेदन प्रस्तुत करने का सुझाव दिया, जिस पर नेखमबन्दी का यह आवेदन श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थीगण नेखमबन्दी सम्बन्धी मौके पर नेखम सामग्री उपलब्ध एवं नेखमबन्दी सम्बन्धी फीस अदा करने को तैयार हूँ। विवादित खेत मौजा लूखु पटवार मण्डल लूखु तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर में स्थित होने के कारण यह नेखमबन्दी का आवेदन श्रीमान् के न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का है। राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का होने के कारण इस पर मुकरर न्याय शुल्क मुद्रांक 2/– के साथ पेश है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विप्रार्थीगण 01 से 09 को जरिये रजिस्ट्रेड डाक से नोटिस भिजवाए गए, विप्रार्थीगण संख्या 07 व 08 की ओर से अधिवक्ता मांगीलाल जयपाल ने वकालतनामा मय इकबाली जबाव प्रस्तुत किया तथा जबाव में यह कथन किया गया की प्रार्थीगण के खेत मौजा लूखु के खसरा नम्बर 45/3 रकबा 4.8562 हैक्टैयर किस्म बारानी दोयम की नेखमबंदी की जाती है तो हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नही है हम पूर्ण रूप से सहमत है। तथा बाकी विप्रार्थीगण को भिजवाऐ गये नोटिसों की डाक रसीदें प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पेश की, विप्रार्थीगण को नोटिस भेजे गए एक माह से ज्यादा समय होने के कारण विप्रार्थीगण संख्या 01 से 06 के खिलाफ दिनांक 06.09.2023 को विप्रार्थीगण के हाजा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।

हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रार्थना पत्र तथा पत्रावली के साथ संलग्न समस्त दस्तावेजात का भली-भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण विवादित आराजी खसरा संख्या 45/3 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की खातेदार दर्ज राजस्व रेकर्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:06 IST
Reason: SelfAttested

27.10.23

उपखण्ड अधिकारी
धोरीमन्ना (बाड़मेर)

है। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि दिनांक 29.06.2023 को पटवारी हल्का द्वारा खसरा संख्या 45/3 के सीमाज्ञान हेतु प्रयास किय गया, लेकिन पड़ौसी खातेदारान द्वारा सीमाज्ञान की कार्रवाई के दौरान सीमाज्ञान करने से मना कर दिया गया, प्रार्थीगण द्वारा शपथ पत्र के माध्यम से अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खेत आसपास स्थित है तथा खेतों के बीच किसी प्रकार के सीमा चिह्न/पक्की माठें नहीं होने के कारण सीमा सम्बन्धी विवाद होते रहते है। उपर्युक्त विवेचन के आलोक से हमारा यह विनम्र अभिमत है कि विवादित आराजी खसरा संख्या 45/3 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की हद तक हस्तगत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना हम उचित एवं विधिसंगत समझते हैं।

— : : आदेश : : —

अतः उपर्युक्त निष्कर्ष के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 भली–भांती साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार धोरीमन्ना को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी राजस्व ग्राम लूखु पटवार मण्डल लूखु तहसील धोरीमन्ना में जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 140 के खसरा संख्या 45/3 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 111 में वर्णित विहीत प्रकिया का अनुपालन करते हुए सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीगण के हर्जे–खर्चे से उसके खसरा संख्या 45/3 रकबा 4.8562 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम के पड़ौसी खातेदारों की आराजी के मध्य सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। तहसीलदार धोरीमन्ना को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से कम होते हुए दाखिल दफ्तर हो।

27.10.23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना

निर्णय आज दिनांक 27.10.23 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2024.11.06 13:43:06 IST
Reason: SelfAttested

27.10.23

(लाखाराम) RAS
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,
धोरीमन्ना